

FORM NO.III

फर्द अहकाम
(नियम 26)

प्रशासन गाँवों के संग
अभियान-2021

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी मुकाम चित्तौड़गढ़ (राज.)

सायरी

बनाम धूमल

किस्म मुकदमा प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 128 एल.आर.एक्ट. नम्बर 235/2021 7/1/21

तारीख हुकम

हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

06/12/21

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 रालेरेए के तहत प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत, दर्ज रजिस्टर हो।

प्रार्थी श्री / श्रीमती सायरी

पिता श्री नारायण जी जार

निवासी- रोलाहेडा तहसील व जिला चित्तौड़गढ़ ने ग्राम

रोलाहेडा स्थित खातेदारी की आराजी नम्बर 418

कुल कीता 1 कुल रकबा 0-2300 है0 की पत्थरगढी कराये जाने हेतु निवेदन किया। उक्त आराजी प्रार्थी के खातेदारी की आराजी में दर्ज रेकार्ड है।

अतः प्रार्थी की ग्राम रोलाहेडा स्थित खातेदारी की भूमि आराजी नम्बर 418

कुल कीता 1 रकबा 0-2300 है0 की बिना किसी कब्जे में दखलन्दाजी किये, सेंटलमेन्ट नक्शे अनुसार पत्थरगढी करने के आदेश दिये जाते है। पत्थरगढी का खर्चा प्रार्थी वहन करेगा। शुल्क 500-00 रूपये अक्षरे पांच सौ रुपये प्रार्थी से वसूल हो, पालना प्राप्त हो। पत्रावली निर्णित हो। पत्रावली पालना प्राप्ति पर पेश हो।

(श्याम सुन्दर बिश्नोई)
सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
चित्तौड़गढ़ (राज.)

